

109

निगरानी प्रकरण क्र./2013
प्रस्तुति दिनांक : 02/07/2013

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-2834- II/13 मध्यप्रदेश के न्यायालय में

योगेश वर्मा
को प्रस्तुत ✓
दिनांक 02-07-2013

1. श्रीमती सुनिताबाई पति श्री हीरालाल
2. विनोद पिता श्री हीरालाल
3. मनोज पिता श्री हीरालाल
क्र. 2 व 3 अज्ञान तर्फे पालनकर्ता माता
श्रीमती सुनिताबाई पति श्री कैलाश
तीनों निवासी- ग्राम हासाखेडी तहसील सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)
4. भगवान पिता श्री सिद्धनाथ जाति-आंजना
निवासी-ग्राम झिरोलिया तहसील व
जिला उज्जैन (म.प्र.)

477/02-7-2013

.....प्रार्थीगण


विरुद्ध

1. हीरालाल पिता श्री रूगनाथ जाति कीर
निवासी-ग्राम हासांखेडी तहसील सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)
2. ग्राम पंचायत खामोद आंजना द्वारा सरपंच
ग्राम पंचायत खामोद आंजना तहसील सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर (म.प्र.)
के द्वारा प्रकरण क्रमांक 242/2011-12/अपील में दिनांक
30/04/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी
निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।



आयुक्त याचो.
शहर से प्राप्त
11-7-13

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2834-11/13

जिला - इन्दौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
----------------	--------------------	--

14-05-19

प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-4-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 30-4-2013 के विरुद्ध दिनांक 15-3-16 को पुनः निगरानी प्रस्तुत कर दी गई जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 902-पीबीआर/16 पर दर्ज हुई एवं दिनांक 14-5-19 को आदेशार्थ सुरक्षित हो चुकी है। अतः अपर आयुक्त एक ही आदेश के विरुद्ध इस निगरानी का कोई औचित्य नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। इस प्रकरण का अभिलेख संबंधित प्रकरण क्रमांक निगरानी 902-पीबीआर/16 में संलग्न किया जाये।


A.S.S.


अध्यक्ष